



Helpline No.:-(+91)-7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

क्रमांक : प () जरारासंवि/शै. /20/ 7592

दिनांक : 26/3/21

शासन उप सचिव,
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग,
शासन सचिवालय,
जयपुर

Speed Post

विषय :- राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में CBCS स्कीम लागू करने के संबंध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक पं.18(3)शिक्षा-6/2014 दिनांक 20.11.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 19.10.2020 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 2969-90 दिनांक 06.11.2020 द्वारा 10 सदस्यीय समिति का गठन कर CBCS पाठ्यक्रम में पुनरीक्षण कर विद्यापरिषद् में पारित कराने हेतु एक प्रति विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई थी। विश्वविद्यालय की 28वीं विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.11.2020 को आयोजित की गई एवं उक्त प्राप्त समिति रिपोर्ट पर सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम निर्माण करने, सम्बद्धता देने, परीक्षाओं के संचालन हेतु एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के पयवेक्षण हेतु संस्थापित एक स्वायत्तशापी संस्था है। अतः पाठ्यक्रम तैयार एवं क्रियान्वयन का कार्य विश्वविद्यालय का है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त पत्र से गठित समिति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण (Review) हेतु थी जिसमें माननीय सदस्यों द्वारा संशोधन करना ही शामिल था ना कि पाठ्यक्रम का निर्माण करना। लेकिन समिति ने पुराने पाठ्यक्रम को सेमेस्टर में विभाजित कर (CBCS प्रणाली के विपरीत भी) प्रस्तुत कर दिया जिसे उचित नहीं माना गया। विश्वविद्यालय की 28वीं विद्यापरिषद् की बैठक कार्यवाही विवरण जो कि दिनांक 24.11.2020 को जारी किया गया (प्रति संलग्न) जिसमें पाठ्यक्रमों CBCS प्रणाली सहित लागू पाठ्यक्रमों का स्पष्ट उल्लेख किया गया जिसकी प्रति निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर; निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर; प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध शास्त्री/आचार्य महाविद्यालय को भी प्रेषित की गई। इससे स्पष्ट है कि सक्षम स्तर से अनुमोदित पाठ्यक्रमों से सभी संबंधित को अवगत कराया जाकर इसी पाठ्यक्रम को सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षण हेतु निर्देशित कर दिया गया था। संबंधित लागू पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। साथ ही CBCS पाठ्यक्रम के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक नोट मय संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

-sd-
(सुरेन्द्र सिंह यादव)

आर.ए.एस.

कुलसचिव



Helpline No.:-(+91)-7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदारु, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

क्रमांक : प () जरारासंविधि/शैक्ष./20/7593-760/

दिनांक : 26/3/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जरारासंविधि, जयपुर
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
5. परीक्षा नियंत्रक, जरारासंविधि, जयपुर
6. समस्त संकायाध्यक्ष, जरारासंविधि, जयपुर
7. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय (शास्त्री/आचार्य) जरारासंविधि, जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाएं विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा 28वीं विद्यापरिषद् की बैठक कार्यवाही विवरण जिसमें CBCS पाठ्यक्रम एवं निर्देशों के संबंध में लागू किये जाने बाबत स्पष्ट उल्लेख किया गया था। आप सभी को पूर्व में पत्रांक 3668-83 दिनांक 24.11.2020 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।
7. डॉ. कैलाश चन्द्र शर्मा, संयोजक विद्यापरिषद्/श्री उमेश नेपाल, सहायक आचार्य, जरारासंविधि, जयपुर
8. वेबसाईट प्रभारी, जरारासंविधि, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि संबंधित पत्र विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

ST
24/3/21
कुलसचिव